**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**राज्‍य सभा**

तारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 35

उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018

**निःशक्त बच्चों के लिए विद्यालय**

**\*35. डा॰ शशिकला पुष्पा रामास्वामीः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने निःशक्त बच्चों के समक्ष उनकी विद्यालयी शिक्षा, पाठ्यक्रम, अध्यापनकला और परीक्षा के संबंध् में आने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए कोई व्यापक शिक्षा नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के सभी जिलों में निःशक्त बच्चों के लिए कम-से-कम एक विद्यालय खोले जाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धरित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

 **मानव संसाधन विकास मंत्री**

**(श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) से (ड.): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**\*\*\*\*\***

**'निःशक्त बच्चों के लिए विद्यालय' के संबंध में डा॰ शशिकला पुष्पा रामास्वामी द्वारा दिनांक 13.12.2018 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 35 के भाग (क) से (ड.) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण।**

(क): जी, हां। राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 में विशेष जरूरतों वाले बच्‍चों को समान साझेदार के तौर पर सामान्‍य समुदाय के साथ एकीकृत करने, उन्‍हें उनकी सामान्‍य वृद्धि एवं विकास के लिए तैयार करने और उन्‍हें जिंदगी का साहस एवं आत्‍मविश्‍वास के साथ सामना करने के लायक बनाने के लिए कुछ उपायों की परिकल्‍पना की गई थी। इस विजन की अनुवर्ती कार्रवाई में, स्‍कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) ने विशेष जरूरतों वाले बच्‍चों पर विशेष फोकस करते हुए विभिन्‍न कार्यक्रम एवं योजनाएं बनाई हैं।

(ख): वर्ष 2018-19 में, स्‍कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कक्षा I से XII तक के बच्‍चों को कवर करते हुए **समग्र शिक्षा**- एकीकृत स्‍कूल शिक्षा योजना शुरू की है जिसमें अभी तक केन्‍द्रीय प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक-शिक्षा योजनाओं को शामिल किया गया है। समग्र शिक्षा सामान्‍य स्‍कूलों में समावेशी शिक्षा पर बल देती है जिसमें बच्‍चे एक ही कक्षा में भाग लेते हैं और एक साथ सीखते हैं चाहे उनकी क्षमताएं/अक्षमताएं कुछ भी हों और इस प्रकार सभी छात्रों के लिए एक अनुकूल शैक्षिक परिवेश का सृजन होता है।

 समावेशन के सिद्धांतों को देखते हुए, विशेष जरूरतों वाले बच्‍चों को विशिष्‍ट छात्र उन्‍मुखी निम्‍नलिखित हस्‍तक्षेपों के जरिए सहायता प्रदान की जाती है।

* सहायक यंत्र और उपस्‍कर
* शिक्षण सहायक यंत्र
* सहायक साधन
* पहचान और मूल्‍यांकन शिविर
* शिक्षण एवं अधिगम सामग्री
* माता-पिता, शिक्षा प्रशासकों, समुदाय के लिए सुग्राही कार्यक्रम
* खेलकूद कार्यक्रम
* विश्‍व दिव्‍यांगता दिवस
* ब्रेल पुस्‍तकें/किट
* सुधारात्‍मक कार्य
* परिवहन भत्‍ता
* एस्‍कॉर्ट भत्‍ता
* वर्दी (शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत)
* बालिका वजीफा
* सामान्‍य शिक्षकों का प्रशिक्षण
* विशेष शिक्षकों के लिए वित्‍तीय सहायता
* आईसीटी आदि का उपयोग।

उपर्युक्‍त हस्‍तक्षेप सामान्‍य स्‍कूलों में उनकी शैक्षिक जरूरतों को पूरा करने के लिए मुहैया कराए जाते हैं। समावेशी शिक्षा के तहत वर्ष 2018-19 में 2100918 विशेष जरूरतों वाले बच्‍चों के लिए अनुमोदन दिया गया है जिनके लिए अनुमानित अनुमोदित परिव्‍यय 102350.91 लाख रूपये है। कवर किए गए विशेष जरूरतों वाले बच्‍चों और उनके अनुमोदित हस्‍तक्षेपों को विवरण कमश: संलग्‍नक-। और संलग्‍नक-।। पर है।

भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान - सूचना का अधिकार और आईईडीएसएस, आरएमएसए के तहत विशेष जरूरतों वाले बच्‍चों (सीडब्‍ल्‍यूएसएन) के लिए अलग निधियां आवंटित की हैं।

(लाख रूपये में)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | वर्ष | एसएसए | आरएमएसए | कुल आवंटन |
| 1. | 2015-16 | 54770.61 | 22560.17 | 77330.78 |
| 2 | 2016-17 | 57276.67 | 25203.40 | 82480.07 |
| 3 | 2017-18 | 54477.78 | 32313.59 | 86791.37 |
|  | **कुल** | **166525.06** | **80077.16** | **246602.22** |

बालिका शिक्षा और उनकी भागीदारी को प्रोत्‍साहित करने के लिए आईईडीएसएस, आरएमएसए योजना के तहत 10 माह के लिए 200 रूपये प्रतिमाह की दर से रूपये 2000 का वजीफा दिया गया है और इसका समग्र शिक्षा तक विस्‍तार किया गया है। हस्‍तक्षेप के तहत निधि आवंटन और लाभान्‍वित बालिकाओं की संख्‍या का विवरण निम्‍नवत है।

**लाख रूपये में**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **वर्ष** | **2016-17** | **2017-18** | **2018-19** |
| 1 | **छात्राओं की संख्‍या** | 94940 | 106155 | 651595 |
| 2 | **वित्‍तीय** | 1885.75 | 2123.10 | 12955.60 |

वर्ष 2018-19 के दौरान 1104.48 लाख रूपये के अनुमोदित परिव्‍यय से राज्‍यों और संघ-राज्‍य क्षेत्रों को 5803 खेलकूद कार्यक्रम अनुमोदित किए गए हैं। ऐसा विशेष जरूरतों वाले बच्‍चों के अन्‍य छात्रों के साथ सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने और उनके प्रेरणा स्‍तर को बढ़ाने के लिए किया गया है।

 स्‍कूल शिक्षा संबंधी राष्‍ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क (एनसीएफ-2005) में संज्ञानात्‍मक एवं गैर-संज्ञानात्‍मक क्षेत्रों दोनों में दिव्‍यांग व्‍यक्तियों सहित स्‍कूल जाने वाले बच्‍चों की विविधता को समायोजित करने के लिए उपयुक्‍त और लचीली पाठ्यचर्या बनाने की सिफारिश की गई है।

इसके अतिरिक्‍त, समग्र शिक्षा में विशेष जरूरतों वाले बच्‍चों के लिए समावेशी दर्शन का पालन किया गया है जिसमें किसी विशेष पाठ्यचर्या एवं शिक्षा-शास्‍त्र का विकास नहीं किया जाता है। तथापि, एनसीईआरटी ने प्रारंभिक स्‍तर पर दिव्‍यांग बच्‍चों के लिए शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पाठ्यचर्या अनुकूलन संबंधी अनुकूल सामग्री तैयार की है। एनसीईआरटी ने बरखा-समावेशी डिजाइन एप्रोच वाली एक पूरक पठन-पाठन विकसित की है जिससे यह विशेष जरूरतों वाले बच्‍चों की पहुंच में आ गई है।

(ग) जी, नहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विशेष जरूरतों वाले बच्‍चों के लिए नए विशेष विद्यालयों की मंजूरी/खोलने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के अनुसार, दिव्‍यांग बच्‍चों सहित 6-14 आयुवर्ग में प्रत्‍येक बच्‍चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक पड़ोस के स्‍कूल में नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। इसके अतिरिक्‍त, शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 में विशेष जरूरतों वाले बच्‍चों के लिए गृह आधारित शिक्षा (एचबीई) का विकल्‍प लेने का अधिकार उपलब्‍ध हो गया है।

केन्‍द्र सरकार ने 2018-19 से, एकीकृत स्‍कूल शिक्षा योजना - **समग्र शिक्षा** शुरू की है जिसका उद्देश्‍य विशेष जरूरतों वाले सभी बच्‍चों की प्री-स्‍कूल से वरिष्‍ठ माध्‍यमिक स्‍तर तक सततता के रूप में शैक्षिक जरूरतों को देखा जाता है। केन्‍द्रीय प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत, विशेष जरूरतों वाले बच्‍चों (सीडब्‍ल्‍यूएसएन) को पड़ोस के प्राथमिक और माध्‍यमिक स्‍कूलों में समावेशी शिक्षा प्रदान करने पर फोकस है जिनमें विशेष जरूरतों वाले बच्‍चे एक ही कक्षा में भाग लेते हैं और एक साथ सीखते हैं।

(घ): प्रश्‍न नहीं उठता।

(ड.) नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 3 (2) के अनुसार, दिव्‍यांग बच्‍चे सहित 6-14 आयुवर्ग के प्रत्‍येक बच्‍चे को नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है।

समग्र शिक्षा के कार्यक्रमगत हस्‍तक्षेपों का समावेशी परिप्रेक्ष्‍य होता है। समग्र शिक्षा का मुख्‍य विषय समावेशी अथवा औपचारिक विद्यालयी शिक्षा के ताने-बाने में मुख्‍य धारा में लाने के जरिए विशेष जरूरतों वाले बच्‍चों की शिक्षा है।

**\*\*\*\*\***

**संलग्‍नक-I**

**''निःशक्त बच्चों के लिए विद्यालय'' के संबंध में डॉ॰ शशिकला पुष्पा रामास्वामी द्वारा दिनांक 13.12.2018 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 35 के भाग (क) से (ड.) के उत्‍तर में उल्‍लिखित संलग्‍नक**

|  |
| --- |
| समग्र शिक्षा 2018-19 के तहत कवर विशेष जरूरतों वाले बच्‍चे |
| क्र. सं. | राज्‍य/ संघ राज्‍य क्षेत्र का नाम | पीएबी में अनुमोदित सीडब्‍ल्‍यूएसएन (प्रारंभिक + माध्‍यमिक) की सं. 2018- 19 |
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 496 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 86730 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 3493 |
| 4 | असम | 62432 |
| 5 | बिहार | 183036 |
| 6 | चंडीगढ़ | 4303 |
| 7 | छत्तीसगढ | 62475 |
| 8 | दादरा और नगर हवेली | 571 |
| 9 | दमन और दीव | 231 |
| 10 | दिल्ली | 18307 |
| 11 | गोवा | 2082 |
| 12 | गुजरात | 120144 |
| 13 | हरि‍याणा | 27862 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 10800 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 26809 |
| 16 | झारखंड | 64789 |
| 17 | कर्नाटक | 79082 |
| 18 | केरल | 131698 |
| 19 | लक्षद्वीप | 215 |
| 20 | मध्य प्रदेश | 103236 |
| 21 | महाराष्ट्र | 307519 |
| 22 | मणिपुर | 4029 |
| 23 | मेघालय | 3946 |
| 24 | मिजोरम | 4568 |
| 25 | नागालैंड | 1276 |
| 26 | ओडिशा | 106615 |
| 27 | पांडिचेरी | 1443 |
| 28 | पंजाब | 63611 |
| 29 | राजस्थान | 114423 |
| 30 | सिक्किम | 1134 |
| 31 | तमिलनाडू | 149140 |
| 32 | तेलंगाना | 45882 |
| 33 | त्रिपुरा | 3537 |
| 34 | उत्तरांचल | 6345 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 181909 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 116750 |
|   | **संपूर्ण** | **2100918** |

**स्रोत: परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) कार्यवृत्‍त 2018-19**

**\*\*\*\*\***

|  |
| --- |
| ''**निःशक्त बच्चों के लिए विद्यालय'' के संबंध में डा॰ शशिकला पुष्पा रामास्वामी द्वारा दिनांक 13.12.2018 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न सं. 35 के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण** |
| **समग्र शिक्षा 2018-19** |
| **समावेशी शिक्षा** |
| **विशेष आवश्‍यकता वाले बच्‍चों के लिए प्रावधान 2018-19**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **क्र.सं.** | **समावेशी शिक्षा (उच्‍च कक्षा 8 तक)** | **वास्‍तविक (सं. में)** | **वित्‍तीय (लाख रूपये में)** |
| 1 | खेल समारोह | 5803 | 1104.48 |
| 2 | सामाजिक समावेशन कार्यक्रम | 1385 | 346.25 |
| 3 | माता-पिता शिक्षा कार्यक्रम | 1667 | 34.18 |
| 4 | सीडब्ल्यूएसएन के लिए प्रशिक्षण | 1050 | 34.07 |
| 5 | ब्रेल किताबें | 4909 | 69.21 |
| 6 | ऑडियो विजुअल और प्रिंटिंग सामग्री | 22 | 2.2 |
| 7 | विश्व विकलांगता दिवस | 95 | 88.3 |
| 8 | पाठ्यचर्या गोद लेने पर शिक्षक प्रशिक्षण | 2700 | 67.5 |
| 9 | फिजियोथैरेपी / भाषण थैरेपी | 216 | 21.6 |
| 10 | एक्सपोजर विज़िट | 27 | 27 |
| 11 | संसाधन शिक्षक का वेतन | 1 | 2.4 |
| 12 | संसाधन केंद्र गतिविधियों के लिए सहायता और उपकरण | 150 | 225 |
| 13 | कोक्लेयर इम्प्लांट (स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, सर्जरी, फॉलोअप और स्पीच थेरैपी) | 43 | 258 |
| 14 | दृष्टि बहाली सर्जरी | 80 | 8 |
| 15 | एक्सपोजर विज़िट (अंजली फेस्टिवल) | 20 | 4 |
| 16 | अंजली चिल्ड्रेन फेस्टिवल | 300 | 6 |
| 17 | माता-पिता/सामुदायिक परामर्श | 3000 | 30 |
| 18 | सीडब्ल्यूएसएन की पहचान और प्रोफाइलिंग | 6391 | 3.2 |
| 19 | त्वरित शिक्षण शिविर (एएलसी) | 78 | 1383.64 |
| 20 | अनुदेशक सामग्री की खरीद / विकास | 121348 | 840.94 |
| 21 | व्यावसायिक/जीवन कौशल प्रशिक्षण | 45 | 14.25 |
| 22 | अतिरिक्त पाठ्यचर्या कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाएं | 22 | 4.4 |
| 23 | छात्रावास भत्ता | 3360 | 1756.5 |
| 24 | उपचारात्मक सेवाएं | 47689 | 1926.22 |
| 25 | हेल्पर/आया/ परिचर | 2030 | 756.6 |
| 26 | ब्रेल स्टेशनरी सामग्री (इंक उभरा चार्ट, ग्लोब आदि) | 58070 | 804.18 |
| 27 | सहायता और उपकरण प्रदान करना | 198741 | 8136.38 |
| 28 | पहचान और आकलन (चिकित्सा आकलन शिविर) | 107530 | 1871.73 |
| 29 | पाठक भत्ता | 9404 | 158.7 |
| 30 | सहायक उपकरण, उपस्‍कर और टीएलएम | 46286 | 1805.01 |
| 31 | यातायात भत्ता | 203984 | 7025.8 |
| 32 | लड़कियों के लिए वजीफा | 536536 | 10654.42 |
| 33 | विशेष शिक्षकों की सेवा में प्रशिक्षण | 21760 | 308.66 |
| 34 | पर्यावरण विकास कार्यक्रम | 4820 | 427.82 |
| 35 | प्रधानाचार्य, शैक्षणिक प्रशासकों, माता-पिता/अभिभावकों आदि का अभिविन्यास | 572610 | 3437.68 |
| 36 | वेतन (पूर्व विशेष शिक्षक) | 7509 | 15299.57 |
| 37 | वेतन (नए विशेष शिक्षक) | 309 | 368.1 |
| 38 | प्रशिक्षण सामग्री का विकास | 19654 | 149.48 |
| 39 | एस्कॉर्ट भत्ता | 201752 | 6814.11 |
| 40 | गृह आधारिक शिक्षा | 43236 | 898.72 |
| 41 | चांगथीकूट्टम / पदनाम मधुरम | 1385 | 27.7 |
| 42 | उपचारात्‍मक सुधार | 818 | 137.16 |
| 43 | सुधारात्मक सर्जरी | 1040 | 133.2 |
|   | **समावेशी शिक्षा का योग (कक्षा 8 तक)** |  | **67472.36** |
|  | [**समावेशी शिक्षा का योग (विद्यार्थी उन्‍मुखी Components) (कक्षा 10 से 12 तक)**](http://samagrashiksha.in/ReportServer?%2fisseReporting%2fpro_act_appr&sanc_year=2018-2019&schm=2&comp=7&sub_comp=30&act=76&rs%3aParameterLanguage=) |  |  |
| 1 | निर्देशात्‍मक सामग्री की खरीद / विकास | 62722 | 154.1 |
| 2 | छात्रावास भत्ता | 360 | 36.17 |
| 3 | उपचारात्मक सेवाएं | 3490 | 90.82 |
| 4 | सहायक/आया/परिचर | 716 | 236.89 |
| 5 | ब्रेल स्टेशनरी सामग्री (एम्‍बोस चार्ट, ग्लोब आदि सहित) | 117969 | 777.44 |
| 6 | सहायता और उपकरण प्रदान करना | 44777 | 1064.43 |
| 7 | पहचान और आकलन (चिकित्सा आकलन शिविर) | 12868 | 242.9 |
| 8 | पाठक भत्ता | 8932 | 135.61 |
| 9 | वर्दी | 88143 | 431.97 |
| 10 | सहायक उपकरण, उपकरण और टीएलएम | 26555 | 436.8 |
| 11 | एस्कॉर्ट भत्ता | 43116 | 795.36 |
| 12 | स्‍पोर्ट और एक्सपोजर विजिट | 5999 | 314.02 |
| 13 | बालिकाओं के लिए वजीफा | 115059 | 2301.18 |
| 14 | यात्रा भत्ता | 71588 | 1072.09 |
| 15 | गृह आधारित शिक्षा (कक्षा XII तक) | 760 | 23.7 |
| 16 | अभिविन्यास शिविर | 46 | 3.22 |
| 17 | जिला और राज्य स्तर पर प्रतिभा खोज | 1 | 0.12 |
|   | **समावेशी शिक्षा का योग (विद्यार्थी अभिविन्‍यास घटक) (कक्षा 10 से 12 तक)** |  | **8116.82** |
|  |  [**समावेशी शिक्षा का योग (आवर्ती) ( कक्षा 12 तक)**](http://samagrashiksha.in/ReportServer?%2fisseReporting%2fpro_act_appr&sanc_year=2018-2019&schm=2&comp=7&sub_comp=30&act=69&rs%3aParameterLanguage=) |  |  |
| 1 | प्रशिक्षण सामग्री का विकास | 4574 | 53.59 |
| 2 | पुस्तकें और स्टेशनरी (दृष्टिहीन व्‍यक्तियों के लिए ब्रेल पुस्‍तकें और कम दृष्टिवालों के लिए बड़े अक्षर के साथ मुद्रण पुस्‍तकें) | 11222 | 89.89 |
| 3 | प्रभाव अध्ययन | 1 | 5 |
| 4 | बच्चों के लिए उपकरण (श्रवण बाधित) | 75 | 15 |
| 5 | अभिभावक शिक्षक और छात्र परामर्श | 5804 | 31 |
| 6 | पाठ्यचर्या अनुकूलन | 1 | 10 |
| 7 | संसाधन कक्ष/लर्निंग सेंटर के लिए अधिगम सामग्री | 500 | 50 |
| 8 | विशेष शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण | 6466 | 150.19 |
| 9 | पर्यावरण विकास कार्यक्रम | 3911 | 366.87 |
| 10 | प्रधानाचार्यों, शैक्षणिक प्रशासकों, माता-पिता/अभिभावकों आदि का अभिविन्यास | 44661 | 186.65 |
| 11 | सामान्‍य प्रशिक्षित शिक्षक के लिए विशेष वेतन। | 150 | 7.2 |
| 12 | वेतन (पूर्व विशेष शिक्षक) | 5193 | 18921.01 |
| 13 | वेतन (नए विशेष शिक्षक) | 2597 | 6438.03 |
| 14 | उपचारात्मक सेवाएं | 23 | 16.1 |
| 15 | बागवानी थेरैपी पर परियोजना | 14 | 21 |
| 16 | कौशल विकास कार्यक्रम | 5 | 25 |
| 17 | खेल समारोह - जिला स्तर | 14 | 9.8 |
| 18 | एक्सपोजर विजिट  | 700 | 3.5 |
| 19 | खेल समारोह - राज्य स्तर | 1 | 3 |
| 20 | समावेशी कला उत्‍सव  | 41 | 30.75 |
| 21 | विश्‍व विक्‍लांगता दिवस | 64 | 11.1 |
| 22 | बौद्धिक विक्‍लांगता वाले बच्चों के लिए ओपन स्कूलिंग | 30 | 1.38 |
| 23 | पुर्नभुगतान | 3 | 4.73 |
| 24 | सर्जिकल सुधार | 68 | 13.6 |
| 25 | सीडब्ल्यूएसएन के लिए व्यावसायिक | 336 | 13.05 |
| 26 | जिला स्तर पर विश्व विकलांगता दिवस | 13 | 9.1 |
| 27 | लेखन सुविधा | 850 | 8.5 |
| 28 | पूर्व-व्यावसायिक / स्व-प्रबंधन कौशल प्रशिक्षण | 816 | 7.34 |
| 29 | बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों का आकलन | 29 | 21.75 |
| 30 | जागरूकता अभियान | 29 | 11.6 |
| 31 | राष्ट्रीय स्तर ओलंपिक | 1 | 1 |
| 32 | विशेष शिक्षक मौजूद नहीं | 300 | 225 |
|   | **कुल समावेशी शिक्षा (आवर्ती) (कक्षा 12 तक)** |  | **26761.73** |
| **कुल**  |  | **102350.91** |
| **स्रोत: परियोजना मॉनीटरिंग प्रणाली** |  |  |  |  |  |